भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष क्रमांक (0755) 2478250, 51,52, 53

जनशक्ति
(उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)
प्रदाय के लिये

ई–निविदा आमंत्रण की सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के अंतर्गत दो वर्ष के लिए उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल जनशक्ति प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई–टेण्डर क्रमांक : BSDS/Admn/2019/01

(1) कार्य का विवरण, तकनीकी अर्हतायें एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरण अनुसार।

(2) कार्यस्थल का नाम :
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल, मिनी डेयरी संयंत्र बैतूल एवं 20 दुग्ध शीतकेन्द्र ।

(3) निविदा की समय–सारणी :–

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	06.11.2019 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2019 दोपहर 12.00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2019 दोपहर 3.00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	28.11.2019 दोपहर 3.00 बजे से
5	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोधर राशि (Earnest Money)	रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र)
6	निविदा प्रपत्र की वैधता की अवधि	निविदा खोलने से 6 माह
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

1. **प्रस्तावना :–**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के अंतर्गत दो वर्ष के लिए उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल जनशक्ति प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

2. **अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :–**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष नं. (0755) 2478250, 51,52, 53

3. **ई–टेण्डरिंग हेतु वेबसाईट :**

http://www.mptenders.gov.in

3.1 **निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी :–**

श्री निकेत अग्रवाल, प्रबंधक (प्रशासन)
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष क्रमांक (0755) 2478250, 51,52, 53
E-Mail ID : bsdsadm@gmail.com.

*निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.nic.in पर उपलब्ध है।

4. **ई–टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :–**

4.1 निविदाकर्ता राशि रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

4.2 निविदा के साथ ई–निविदा पोर्टल पर राशि रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र) की धरोहर राशि ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य है।

4.3 निविदा आमंत्रण हेतु समय–सारणी :–

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	06.11.2019 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2019 दोपहर 12.00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2019 दोपहर 3.00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	28.11.2019 दोपहर 3.00 बजे से
5	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोधर राशि (Earnest Money)	रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र)
6	निविदा प्रपत्र की वैधता की अवधि	निविदा खोलने से 6 माह
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल

5. कार्य का विवरण :–

5.1 निविदाकार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों **(प्रदर्श–1)** में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार भुगतान करने की शर्त के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में जनशक्ति (अनुमानित) की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी :–

स्थान	उच्च कुशल जनशक्ति	कुशल जनशक्ति	अर्द्धकुशल जनशक्ति	अकुशल जनशक्ति	कुल जनशक्ति
मुख्य डेयरी संयंत्र	234	235	125	99	693
मिनी डेयरी संयंत्र	01	10	–	26	37
समस्त दुग्ध शीतकेन्द्र	13	43	28	83	167
कुलयोग	248	288	153	208	897

जनशक्ति की आवश्यकता समय–समय पर संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों के संचालन एवं गतिविधि स्तर के अनुसार घटाई–बढ़ाई जा सकेगी।

5.2 निविदाकार द्वारा प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/ प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति/आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर उक्त श्रमिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

5.3 यदि श्रमिकों की व्यवस्था करने में सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

5.4 सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को निम्न तालिका में दर्शित अनुसार योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा के अनुसार जनशक्ति प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा –

क्र	श्रेणी	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	आयु सीमा
1	अकुशल	(अ) कार्य हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम	18 वर्ष से 62 वर्ष
2	अर्द्धकुशल	(अ) अकुशल श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव	18 वर्ष से 62 वर्ष
3	कुशल	(अ) संबंधित कार्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी. आई/ तकनीकी/ प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा या किसी भी संकाय में स्नातक **अथवा** (ब) अर्द्धकुशल श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (स) डेयरी उद्योग में 10 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (द) ड्रायविंग कार्य हेतु लायसेंस एवं 2 वर्ष का अनुभव	18 वर्ष से 62 वर्ष
4	उच्च कुशल	(अ) संबंधित कार्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी. आई/ तकनीकी/ प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा या किसी भी संकाय में स्नातक **एवं** कुशल/सेवाप्रदायक श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (ब) डेयरी उद्योग में 15 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का कुशल श्रेणी में कार्य अनुभव।	18 वर्ष से 62 वर्ष

कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। उपरोक्त मापदण्डों को आवश्यकता अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6. ई.एम.डी. राशि का जमा किया जाना :–

6.1 निविदाकार को ई–निविदा पोर्टल पर धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 30,00,000/– (रूपये तीस लाख) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

6.2 National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मो सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी।

6.3 बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा।

6.4 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समय सीमा में वापस की जावेगी।

6.5 निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा।

7. सुरक्षा निधि :–

7.1 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 45.00 लाख (रु पैंतालिस लाख मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी।

7.2 निविदा खुलने के पश्चात एवं निविदा की वैधता की अवधि में निविदाकार द्वारा निविदा में संशोधन किये जाने पर, जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं है, धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा निधि जमा नहीं करने अथवा 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सफल निविदाकार (एल–1) की पात्रता समाप्त मान्य करते हुये उनकी धरोहर राशि (Earnest Money) राशि जप्त कर ली जावेगी।

7.3 सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात्, श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि विधिवत रूप से जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी।

7.4 जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक अर्हताएं :–

8.1 कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशिन) एक्ट 1970 के तहत् निविदाकार के पास श्रमिक ठेका संचालन संबंधी जीवित लायसेंस होना आवश्यक है।

8.2 निविदाकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.3 निविदाकार के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.4 निविदाकार के पास जी.एस.टी. का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.5 निविदाकार का गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रूपये पंद्रह करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।

8.6 निविदाकार का गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिए।

8.7 निविदाकार द्वारा प्रतिष्ठित औद्योगिक / वाणिज्यक संस्था में गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 800 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों, का अनुभव होना चाहिए।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा के साथ देना अनिवार्य है। निविदा में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं एवं संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी हेतु **प्रपत्र क्रमांक 01** का अवलोकन करें।

9. निविदा की सामान्य शर्तें :–

9.1 निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा ।

9.2 निविदाएं खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हो और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता **है**। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9.3 निविदाकार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।

9.4 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों

को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा। साथ ही दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं।

9.5 यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

9.6 यदि किसी निविदाकार द्वारा 0 (शून्य) प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 29(1) 2014–पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)।

9.7 यदि ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे भोपाल शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

9.8 प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा । पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

9.9 श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

9.10 श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को कार्यालयीन कार्य में लगाये गये श्रमिकों का मासिक उपस्थिति की संख्या के आधार पर मासिक भुगतान किया जायेगा तथा संयंत्र में लगाये गये श्रमिकों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

9.11 निविदाकार द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी

9.12 यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है, तो उसकी निविदा निरस्ती योग्य होगी।

9.13 निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के हस्ताक्षर सत्यापन होना आवश्यक है।

9.14 निविदा में किसी प्रकार कांट–छांट या किसी अंश को जोड़ने पर उसे निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।

9.15 ऐसी निविदा जिनमें किसी शर्त का उल्लेख है, मान्य नहीं होगी। अतः जो टेण्डर निविदा के नियम व शर्तो को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।

9.16 अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

9.17 भविष्य में निर्मित आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/ नियमों/ अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

9.18 यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

9.19 यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन'' हेतु अध्यक्ष/प्रशासक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

10 मूल्यांकन की प्रक्रिया :–

10.1 निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी उपस्थित निविदाकारों को दी जायेगी।

10.2 सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जावेगी।

10.3 जो निविदाकार तकनीकी बिड की शर्तो को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं फर्मस की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। वित्तीय बोली में निविदाकारों द्वारा दी गये दर को उपस्थित निविदाकारों को बताया जायेगा। मूल्यांकन समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।

10.4 सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात न्यूनतम बोली लगाने वाले सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा।

10.5 निविदा खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती हैं और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम् निविदाकर्ता को निगोसिएशन के लिये बुला सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

11 अनुबंध की अवधि/ निरस्तीकरण :–

11.1 यह अनुबंध दो वर्षो के लिए होगा तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर एक–एक वर्ष के आधार पर दो वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप **प्रदर्श–2** पर उपलब्ध है।

11.2 यह अनुबंध श्रमिक ठेकेदार अथवा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा दो माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंधकर्ता को सभी नियोजित जनशक्ति की वापसी सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से करना होगी।

11.3 सफल निविदाकार को, निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल स्वयं के व्यय पर राशि रू 1,000/– (रू एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

11.4 अनुबंध के संबंध में होने वाली सभी वैधानिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

11.5 निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का होगा।

12. ठेके पर जनशक्ति रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम एवं शर्ते :–

12.1 प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई जनशक्ति की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

12.2 प्रदाय की गई जनशक्ति श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।

12.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निश्चित रहेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा मजदूरी राशि में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा तदानुसार ठेका श्रमिकों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

12.4 निविदाकार कार्य का विवरण जानने हेतु निविदा भरने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।

12.5 श्रमिक ठेकेदार किसी भी स्थिति में अनुबंध को या उसके किसी अंश को बिना भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म/एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

12.6 श्रमिक ठेकेदार को यह वचन पत्र व सहमति देना होगी की उसके द्वारा प्रदत्त श्रमिक द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।

12.7 सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । साथ ही श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

12.8 निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

13 उपलब्ध जनशक्ति के लिये नियम एवं सेवा शर्तें :–

13.1 प्रत्येक श्रमिक के लिए 8 घंटे का कार्य अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक कार्य के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा ।

13.2 श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना श्रमिक ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।

13.3 संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान,गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक प्रति प्रकरण का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

13.4 प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

13.5 श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, काला चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।

13.6 संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।

13.7 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर श्रमिकों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्योहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारू संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराये जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।

13.8 अनुबंधित श्रमिकों के भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में श्रमिकों का प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।

13.9 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है।

13.10 श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।

13.11 ठेका श्रमिकों को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

14. श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्तें :–

14.1 श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों (दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर एवं संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए, माईलेज भत्ता, वाहन चालक भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

14.2 श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

14.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

14.4 श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार ठेका श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम का भुगतान करना होगा।

14.5 श्रमिकों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो श्रमिक ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी।

14.6 यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

14.7 श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।

14.8 श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी ।

14.9 श्रमिक ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौत्रा लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे प्रत्येक त्रैमास के लिए टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

14.10 श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 50,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

15. **कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व :–**

15.1 श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

15.2 श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15.3 श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), श्रमिक ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता कि, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शूकवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी । यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।

निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती कि, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रू 1,500/– (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1200/– रू तथा एक जोडी जूते के 300/–रू) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।

15.4 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। श्रमिक ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब–कोड़ **(SubCode)** तत्काल लेना आवश्यक होगा, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।

15.5 श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक से अधिक पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

15.6 श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26 / 27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी श्रमिक ठेकेदार को करना होगी।

15.7 श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित किये गये आयु, शिक्षा एवं अनुभव/कौशल की अर्हताओं के अनुरूप हो।

15.8 श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

15.9 श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

15.10 यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

15.11 श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/ समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

15.12 किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

15.13 सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15.14 श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा दुग्घ संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल

हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

15.15 प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

15.16 श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व गत माह में कार्यालयीन कार्यों हेतु लगाये गये श्रमिकों की मासिक उपस्थिति की संख्या के आधार पर तथा संयंत्र में किये गये कार्यों/ लगाये गये श्रमिकों को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर, शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीतकेन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

15.17 श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। श्रमिक ठेकेदार को दुग्घ संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में लगाये गये श्रमिकों का पृथक–पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि '' इस चालान द्वारा माह .....में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल ..... (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ/ ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. .... जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोडा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।

श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।

15.18 ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त श्रमिकों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है तथा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. शास्ति / अर्थदण्ड :–

16.1 दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता ,श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर–बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

16.2 श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/ मकौडे/ बाल/ कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।

16.3 श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।

16.4 श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा/अनुबंध में उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली दुग्ध संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

16.5 निविदा/अनुबंध की शर्तों में जहां उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नही है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –

क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रू
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000/–
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000/–
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000/–
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000/– (प्रत्येक बार)

उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा, जो कि दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

16.6 सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर दो माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

17 ठेके पर रखे गये श्रमिकों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–

17.1 श्रमिक ठेकेदार को किसी भी ठेका श्रमिक को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।

18 श्रमिक ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :– .....
.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

प्रपत्र –01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर जन शक्ति प्रदाय करने हेतु दिनांक ..... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मै एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 30,00,000/– (रू. तीस लाख) को Online जमा कर पावती संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्रं0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र।	है/नहीं
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं. ।	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. ।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं

9	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रू पंद्रह करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/ 3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	है/नहीं
10	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 800 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई. पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
13	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ–पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
14	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है।	यदि हॉं, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
15	क्या आपकी संस्था भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉं, तो पूर्ण विवरण देवें।	
16	क्या आपकी संस्था एम.पी.सी.डी.एफ / इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर/ ग्वालियर/ बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉं, तो पूर्ण विवरण देवें।	
17	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर/ उज्जैन/जबलपुर/ ग्वालियर /बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं

18	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
19	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी. डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :– .....

.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

❖ **तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –**

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 13, 17 एवं 19 हेतु पृथक–पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रदर्श 3, 4 एवं 5 का अवलोकन करें।

2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।

3. ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01** ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 19 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये **'' जन–शक्ति प्रदाय के लिये ई–निविदा''** लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में

डालकर भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 27.11.2019 को दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा । निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।

4. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01** ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्केन कॉपी एवं भाव पत्र **(प्रपत्र क्रमांक 02)** को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।

5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।

6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।

7. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।

8. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 01 में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि **(Earnest Money)** राजसात की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :– .....
.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

प्रपत्र–02

''भाव पत्र/दर''

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू. 1,00,000/– प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोटः–

1	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को कार्यालयीन कार्य में लगाये गये श्रमिकों का मासिक उपस्थिति की संख्या के आधार पर मासिक भुगतान किया जायेगा तथा संयंत्र में लगाये गये श्रमिकों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्नलिखित मदों में अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार होगा :–

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :–(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफलाईन भाव दर प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस निविदाकार को निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–

दिनांक :–

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :– .....
.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....
.....

प्रदर्श–01

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

(अ) दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची :–

1. आष्टा
2. नरसिंहगढ़
3. राजगढ़
4. गुना
5. हरदा
6. मुलताई
7. लटेरी
8. गैरतगंज
9. मालीवाया
10. विदिशा
11. शुजालपुर
12. बरेली
13. जीरापुर
14. कीरतपुर
15. सिलवानी
16. सोहागपुर
17. ग्यारसपुर
18. पचोर
19. गंजबासौदा
20. गौहरगंज

(ब) मिनी दुग्ध संयंत्र की सूची :–

1. बैतूल

नोट :– संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती है, तो वह भी सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024

प्रदर्श–02

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक –––––––––– को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्स ––––––––––– जिला ––––––––, जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल, मिनी डेयरी संयंत्र बैतूल एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में संयंत्र एवं अन्य कार्यो हेतु दुग्ध संघ की मांग अनुसार मेनडेज के आधार पर श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिक ठेकेदार के रुप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :–

1. श्रमिक ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में दो वर्षो की अवधि के लिए निविदा प्रपत्र में वर्णित नियम एवं शर्तो के अधीन उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रेणी की जनशक्ति प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा।

2. श्रमिक ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार भुगतान करने की शर्त के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में जनशक्ति (अनुमानित) की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी :–

स्थान	उच्च कुशल जनशक्ति	कुशल जनशक्ति	अर्द्धकुशल जनशक्ति	अकुशल जनशक्ति	कुल जनशक्ति
मुख्य डेयरी संयंत्र	234	235	125	99	693
मिनी डेयरी संयंत्र	01	10	–	26	37
समस्त दुग्ध शीतकेन्द्र	13	43	28	83	167
कुलयोग	248	288	153	208	897

जनशक्ति की आवश्यकता समय–समय पर संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों के संचालन एवं गतिविधि स्तर के अनुसार घटाई–बढ़ाई जा सकेगी।

3. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा–समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति/आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर उक्त श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

4. यदि श्रमिकों की व्यवस्था करने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है, तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

5. श्रमिक ठेकेदार को निम्न तालिका में दर्शित अनुसार योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा के अनुसार जनशक्ति प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा –

क्र	श्रेणी	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	आयु सीमा
1	अकुशल	(अ) कार्य हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम	18 वर्ष से 62 वर्ष
2	अर्द्धकुशल	(अ) अकुशल श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव	18 वर्ष से 62 वर्ष
3	कुशल	(अ) संबंधित कार्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी. आई/ तकनीकी/ प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा या किसी भी संकाय में स्नातक **अथवा** (ब) अर्द्धकुशल श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (स) डेयरी उद्योग में 10 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (द) ड्रायविंग कार्य हेतु लायसेंस एवं 2 वर्ष का अनुभव	18 वर्ष से 62 वर्ष
4	उच्च कुशल	(अ) संबंधित कार्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी. आई/ तकनीकी/ प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा या किसी भी संकाय में स्नातक **एवं** कुशल/सेवाप्रदायक श्रेणी में 5 वर्ष का कार्य अनुभव **अथवा** (ब) डेयरी उद्योग में 15 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का कुशल श्रेणी में कार्य अनुभव।	18 वर्ष से 62 वर्ष

कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए । उपरोक्त मापदण्डों को आवश्यकता अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6. सुरक्षा निधि :–

(1) श्रमिक ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 45.00 लाख (रु पैंतालिस लाख मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी।

(2) निविदा खुलने के पश्चात् एवं निविदा की वैधता की अवधि में सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा में संशोधन किये जाने पर, जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं है, धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा निधि जमा नहीं करने अथवा 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सफल निविदाकार (एल–1) की पात्रता समाप्त मान्य करते हुये उनकी धरोहर राशि (Earnest Money) राशि जप्त कर ली जावेगी।

(3) सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात्, श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि विधिवत रूप से जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी।

(4) जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. श्रमिक ठेका संचालन की सामान्य शर्ते :–

(1) श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।

(2) यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

(3) यदि श्रमिक ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे भोपाल शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

(4) प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है, तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा । पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

(5) श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र /दुग्ध शीतकेन्द /कार्यालय/ टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

(6) श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को कार्यालयीन कार्य में लगाये गये श्रमिकों का मासिक उपस्थिति की संख्या के आधार पर मासिक भुगतान किया जायेगा तथा संयंत्र में लगाये गये श्रमिकों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) भविष्य में निर्मित आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

(8) यदि बाद में यह खुलासा होता है कि श्रमिक ठेकेदार किसी संस्था की काली सूची में सम्मिलित है, तो श्रमिक ठेकेदार की धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

(9) यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन'' हेतु अध्यक्ष/प्रशासक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. अनुबंध की अवधि/ निरस्तीकरण :–

(1) यह अनुबंध दो वर्षो के लिए होगा तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर एक–एक वर्ष के आधार पर दो वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) यह अनुबंध श्रमिक ठेकेदार अथवा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा दो माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंधकर्ता को सभी नियोजित जनशक्ति की वापसी सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से करना होगी।

(3) श्रमिक ठेकेदार को, निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल स्वयं के व्यय पर राशि रू 1,000/– (रू एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

(4) अनुबंध के संबंध में होने वाली सभी वैधानिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

(5) निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का होगा।

9. ठेके पर श्रमिकों को रखे जाने हेतु श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम एवं शर्ते :–

(1) प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई जनशक्ति की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रदाय की गई जनशक्ति श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।

(3) श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निश्चित रहेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा मजदूरी राशि में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा तदानुसार ठेका श्रमिकों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

(4) श्रमिक ठेकेदार किसी भी स्थिति में अनुबंध को या उसके किसी अंश को बिना भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म/एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

(5) श्रमिक ठेकेदार को यह वचन पत्र व सहमति देना होगी की उसके द्वारा प्रदत्त श्रमिक द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।

(6) निविदाकार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । साथ ही श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत वांछित प्रारूपों

में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत दुग्ध संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

(7) श्रमिक ठेकेदार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर ही देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

10. उपलब्ध जनशक्ति के लिये नियम एवं सेवा शर्ते :–

(1) प्रत्येक श्रमिक के लिए 8 घंटे का कार्य अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक कार्य के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा ।

(2) श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना श्रमिक ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।

(3) संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक प्रति प्रकरण का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

(4) प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

(5) श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।

(6) संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।

(7) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर श्रमिकों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्योहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारू संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराये जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।

(8) अनुबंधित श्रमिकों के भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में श्रमिकों का प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।

(9) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है।

(10) श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।

(11) ठेका श्रमिकों को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

11. ठेका श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्ते :–

(1) श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों (दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर एवं संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए, माईलेज भत्ता, वाहन चालक भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

(2) श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

(3) श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

(4) श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार ठेका श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम का भुगतान करना होगा।

(5) श्रमिकों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो श्रमिक ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी।

(6) यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(7) श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।

(8) श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी ।

(9) श्रमिक ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौत्रा लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे प्रत्येक त्रैमास के लिए टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

(10) श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 50,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

12. कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व :–

(1) श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

(2) श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), श्रमिक ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता कि, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शूकवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी । यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।

निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती कि, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रू 1,500/– (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1200/– रू तथा एक जोडी जूते के 300/–रू) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।

(4) निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। श्रमिक ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब–कोड़ **(SubCode)** तत्काल लेना आवश्यक होगा, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।

(5) श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक से अधिक पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

(6) श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26 / 27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी श्रमिक ठेकेदार को करना होगी।

(7) श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित किये गये आयु, शिक्षा एवं अनुभव/कौशल की अर्हताओं के अनुरूप हो।

(8) श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

(11) श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/ समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

(12) किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

(13) सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(14) श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा दुग्घ संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी

ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(15) प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान

यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

(16) श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व गत माह में कार्यालयीन कार्यों हेतु लगाये गये श्रमिकों की मासिक उपस्थिति की संख्या के आधार पर तथा संयंत्र में किये गये कार्यों/ लगाये गये श्रमिकों को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर, शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीतकेन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा

को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

(17) श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। श्रमिक ठेकेदार को दुग्घ संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में लगाये गये श्रमिकों का पृथक–पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि '' इस चालान द्वारा माह .....में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल ..... (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ/ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. ..... जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोडा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।

श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार

द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।

(18) ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त श्रमिकों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है तथा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. शास्ति / अर्थदण्ड :–

(1) दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता ,श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर –बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(2) श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/ मकौडे/ बाल/ कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।

(3) श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।

(4) श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा/अनुबंध में उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली दुग्ध संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

(5) निविदा/अनुबंध की शर्तों में जहां उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नही है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –

क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रू
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000/–
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000/–
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000/–
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000/– (प्रत्येक बार)

उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा, जो कि दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर दो माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

(14) ठेके पर रखे गये श्रमिकों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–

(1) श्रमिक ठेकेदार को किसी भी ठेका श्रमिक को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।

(15) श्रमिक ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी

(16) जन–शक्ति प्रदाय करने हेतु न्यूनतम मजदूरी दर पर ..... प्रतिशत सर्विस चार्ज श्रमिक ठेकेदार को देय होगा, जो कि संपूर्ण ठेका अवधि में लागू रहेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल**	**हस्ताक्षर श्रमिक ठेकेदार**
स्थान –	नाम –
दिनांक –	
1. गवाह का नाम एवं पता	भोपाल कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई–मेल ....
2. गवाह का नाम एवं पता	

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 13 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

प्रदर्श–04

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 17 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .....के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/ इन्दौर/उज्जैन/ जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस. आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

प्रदर्श–05

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 19 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .....को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता